

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मनसुख राम डामोर, RAS.

पत्रावली संख्या : 11/22 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2022/18

1. श्री श्री गोवर्धन पिता चना जी जाति भील उम्र वयस्क निवासी जवान जी का खेडा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री किशोर पिता पप्पु जी जाति भील, उम्र वयस्क निवासी जवान जी का खेडा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री जयचन्द पिता रामा जी जाति भील उम्र वयस्क, निवासी जवान जी का खेडा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री मगना पिता मेरा जी जाति भील उम्र वयस्क निवासी जवान जो का खेडा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री गोपाल पिता धर्मा जी भील, उम्र वयस्क, निवासी युनिवरसिटी पायडा उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)
5. श्री खेमा पिता कसना जी जाति भील, उम्र वयस्क निवासी जवान जी का खेडा, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
6. श्री प्रथा पिता पन्ना जी जाति भील उम्र वयस्क, निवासी जवान जी का खेडा, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
7. श्री रता पिता कसना जी जाति भील उम्र वयस्क निवासी जवान जी का खेडा, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
8. श्री मोहन पिता अगरा जी जाति भील, उम्र वयस्क निवासी जवान जी का खेडा, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
9. श्री लोगर पिता अमरा जी जाति भील, उम्र वयस्क निवासी जवान जी का खेडा, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
10. श्रीमती कजोडी बाई पत्नि हमेरा जी जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी जवान जी का खेडा, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
11. श्रीमती दलु बाई पिता हमेरा जी जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी जवान जी का खेडा, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
12. श्रीमती मांगीबाई पिता हमेरा जी जाति गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी जवान जी का खेडा, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
13. श्री बाबरू पिता पोखर जी जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी जवान जी का खेडा, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
14. श्रीमती रूपी बाई पिता पोखर जी जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी जवान जी का खेडा, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
15. श्रीमती उम्मेदी बाई पत्नि माना जी जाति भील, उम्र वयस्क निवासी जवान जी का खेडा, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)



16. श्रीमती धापु बाई पत्नि कसना जी जाति भील, उम्र वयस्क निवासी जवान जी का खेडा, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.) **मृतक**
17. श्रीमती प्रताबी बाई पिता कसना जी जाति भील, उम्र वयस्क निवासी जवान जी का खेडा, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
18. श्रीमती सवागी बाई पिता कसना जी जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी जवान जी का खेडा, तहसील भावली जिला उदयपुर (राज.)
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर (राज.)।

.....विपक्षीगण

उपस्थित :- 1. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 25.07.2024

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा जवान जी का खेडा पटवार हल्का गादोली तहसील मावली जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 157, 264/147, 96 किता 3 कुल रकबा 0.3885 हैक्टर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में मुझ प्रार्थी के नाम स्वतन्त्र रूप से खातेदारी हक से दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि के उत्तर, दक्षिण व पश्चिम दिशाओ में विपक्षीगण की भूमि है। विपक्षीगण के साथ सीमा को लेकर विवाद होने की संभावनाएं बनी रहती है। अंत में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगणों के विरुद्ध निम्न आशय का आदेश फरमाया जावे कि प्रार्थना उक्त वर्णित कृषि भूमि की चारों सीमाओं की पत्थरगढी कराई जाकर सीमाकंन कराया जावे तथा विपक्षीगणों को पाबन्द किया जाये कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करें, नुकसान नही पहुंचावे प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की रूकावट पैदा नही करें, न ही उक्त कार्य अपने नौकर चाकर एजेन्ट से ही करावे । साथ ही प्रार्थी के खातेदारी की भूमि विपक्षीगणों के कब्जे में पाई जावे तो उसका कब्जा भी प्रार्थी को दिलवाया जावे । ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र पेश है।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 15, 17, 18 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। विपक्षी संख्या 19 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से राजपैराकार तहसीलदार द्वारा जवाब पेश नही करना चाहा। प्रतिवादी संख्या 16 फौत

हो जाने से उसके वारिस पूर्व से ही रिकॉर्ड पर होने से उसके नाम के आगे मृतक शब्द अंकित करने के आदेश दिए गए। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रकरणग्रस्त भूमि प्रार्थी की तन्हा खातेदारी हक की भूमि है जिसमें विपक्षीगण का किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। प्रार्थी की चारों दिशाओं का सिमांकन करवाकर पत्थरगड़ी करवाए जाने का आदेश प्रदान करावें।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मौजा जवानजी का खेड़ा पटवार हल्का गादोली तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 17 पर दर्ज आराजी नम्बर 157, 264/147, 96 किता 3 कुल रकबा 0.3885 हैक्टर भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार होकर प्रार्थी के नाम तन्हा खातेदारी अधिकार से दर्ज है। उक्त आराजीयात में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। इसलिये प्रार्थी को अपनी तन्हा खातेदारी हक की आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। विपक्षीगण द्वारा भी बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित होकर कोई एतराज नहीं किया गया जिससे जाहीर होता है कि विपक्षीगण को प्रार्थी के नाम दर्ज भूमि की पत्थरगड़ी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।
4. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/-रुपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा जवानजी का खेड़ा पटवार हल्का गादोली तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 17 पर दर्ज आराजी नम्बर 157, 264/147, 96 किता 3 कुल रकबा 0.3885 हैक्टर भूमि के चारों दिशाओं का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी प्रार्थी एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में की जावे। फीस कमिश्नर प्रार्थी मौके पर अदा करें।
5. तहसीलदार मावली को लिखा जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
6. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर